<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 42/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 42/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख : 14 मार्च, 2022

मौजूदा टैरिफ की वसूली दिनांक 31.03.2022 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था संबंधी दिनांक 15.09.2021 के आदेश संख्या 17/2021-22 और दिनांक 06.10.2021 के आदेश संख्या 22/2021-22 के मामले में

यह निम्नलिखित तालिका में दिए गए हवाईअड्डों के संबंध में मौजूदा टैरिफ 31.03.2022 के बाद वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था की अवधि बढ़ाने के संबंध में है:

1. तालिका I – एएआई हवाईअड्डा

हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	गोवा

(i) ऊपर उल्लिखित हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित की जानी है। प्राधिकरण को गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में एमवाईटीपी पहले ही प्राप्त हो चुका है और इस समय टैरिफ निर्धारित करने का कार्य जारी है।

(ii) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 31.03.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ आगे 01.04.2022 से 30.09.2022 तक छ: (06) माह की अवधि या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाए।

II तालिका II – सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाले हवाईअड्डे

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
01	अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)	अहमदाबाद
02	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)	लखनऊ
03	मैंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	मैंगलुरू
04	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
05	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
06	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम

(i) ऊपर उल्लिखित हवाईअड्डों के लिए उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए टैरिफ निर्धारित की जानी है। प्राधिकरण को अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलुरू हवाईअड्डों के संबंध में एमवाईटीपी पहले ही प्राप्त हो चुका है और इनकी टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ii) अन्य हवाईअड्डों अर्थात जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेन्द्रम के संबंध में एमवाईटीपी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iii) टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 31.03.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ आगे 01.04.2022 से 30.09.2022 तक छ: (06) माह की अवधि या संगत नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:-

(i) हवाईअड्डा प्रचालकों (उपर्युक्त तालिका I और II में सूचीबद्ध) को 31.03.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर आगे 01.04.2022 से 30.09.2022 तक छ: (06) माह की अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

(i) अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

(ii) श्री मनोज चान्दुका, उपाध्यक्ष, (विनियामक कार्य)
अडानी कारपोरेट हाऊस,
शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्किल के पास, एस.जी. हाइवे,
खोडियार, अहमदाबाद-382421- गुजरात, भारत

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए